अनुसूची–14–फारम संख्या–562

न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 अंतर्गत

वाद संख्या 29/2019–20–सी0सी0ए0

–: आदेश–पत्रक :–

(देखे अभिलेख हस्तक–1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–तारीख :– .... से .... तक

जिला :– मुजफ्फरपुर .... सन्

केस का प्रकार–

सरकार बनाम तुलसी राय, पे0 स्व0 ब्रहमदेव राय, साकिन ठेंगपुर, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11.04.2019	(see below)	

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1409/सी0आर0, दिनांक–16.03.2019 के द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में सुनवाई के उपरांत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.03.2019 (ज्ञापांक 756/न्या0, दिनांक 02.04.19 के द्वारा प्रेषित) के द्वारा विपक्षी तुलसी राय, पे0 स्व0 ब्रहमदेव राय, साकिन ठेंगपुर, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 31.05.2019 तक जिला बदर करते हुए आदेश दिया गया कि वे आदेश प्राप्त के 24 घंटे के अंदर इस न्यायालय को सूचित करना सुनिश्चित करें कि जिला बदर की उक्त अवधि में वे किस जिला के किस थाना में निवास करेंगे, ताकि तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

विपक्षी तुलसी राय, पे0 स्व0 ब्रहमदेव राय, साकिन ठेंगपुर, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से इस न्यायालय को सूचित किया गया कि वे जिला बदर की उक्त अवधि में वैशाली जिला के वैशाली थाना में निवास करेंगे। उन्हें उक्त अवधि में वैशाली थाना में हाजरी बनाने की अनुमति प्रदान की जाए।

चूंकि वैशाली जिला का वैशाली थाना इस जिला से सटा जिला एवं थाना है, इसलिए विपक्षी को वहाँ हाजरी बनाने की अनुमति प्रदान करना संभव नहीं है।

जिला दंडाधिकारी, समस्तीपुर एवं पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर से अनुरोध है कि उक्त व्यक्ति को उक्त अवधि तक समस्तीपुर जिला के हथौड़ी थाना में हाजरी बनाने से संबंधित एक आदेश अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करेंगे।

थानाध्यक्ष, हथौडी, समस्तीपुर से अनुरोध है कि उक्त व्यक्ति को इस आदेश की निर्गत होने की तिथि से 31.05.2019 तक (06.05.2019 को छोडकर) प्रतिदिन सांय 04.00 बजे से 06.00 बजे के बीच हाजरी बनाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही, उक्त आशय का साप्ताहिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाए।

विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश का तामिला संबंधित थानाध्यक्ष से कराने के लिए इसे वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के कार्यालय को भेजा जाए। साथ ही इस आदेश की प्रति सभी संबंधित को दी जाए एवं इस जिले के वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कराया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
–सह–जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

समाहर्त्ता,
–सह–जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

अनुसूची–14–फारम संख्या–562

न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर

अधिहरण वाद संख्या–33/2019–20

(मोतीपुर थाना कांड संख्या 54/2019)

–: आदेश–पत्रक :–

(देखे अभिलेख हस्तक–1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–तारीख :– .... से .... तक

जिला :– मुजफ्फरपुर .... सन्

केस का प्रकार–

सरकार बनाम श्याम किशोर राय एवं अन्य

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	
16.04.2019	शिव शक्ति लॉजिस्टिक प्रा0 लि0, अहमदाबाद ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के द्वारा अधिकृत एरिया मैनेजर, भारत भूषण शर्मा, पिता श्री ब्रजपाल शर्मा, साकिन मुजाकीपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा एक आवेदन के साथ Torrent Pharmaceutical Ltd, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380009 के पत्र दिनांक 10.04.2019 के द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र दाखिल करते हुए अनुरोध किया गया कि मोतीपुर थाना कांड संख्या 54/19, दिनांक 04.02.2019 धारा 420/120बी0/34 भा0द0वि0 एवं धारा 30ए/38(1)/41(1) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त दो सौ कार्टून दवा के मूल्य रू0 16,63,000/– (सोलह लाख तिरसेठ हजार रूपया मात्र) के समतुल्य बैंक गारंटी से संबंधित कागजात दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाए। विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि चूंकि दवा कंपनी के द्वारा आवेदक को दवा प्राप्त करने से संबंधित प्राधिकार पत्र निर्गत कर दिया गया है, इसलिए आवेदक को जब्त दवा के मूल्य के समतुल्य राशि के बैंक गारंटी से संबंधित कागजात दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजात के परिशीलन के उपरांत मैं पाता हूँ कि चूंकि दवा कंपनी के द्वारा आवेदक को दवा प्राप्त करने से संबंधित प्राधिकार पत्र निर्गत कर दिया गया है, इसलिए आवेदक को जब्त दवा के मूल्य के समतुल्य राशि 16,63,000/– (सोलह लाख तिरेसठ हजार रूपए) की बैंक गारंटी से संबंधित कागजात दाखिल करने का आदेश दिया जाता है। वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरांत संबंधित बैंक से उसे सत्यापन हेतु एवं उसे सरकार के पक्ष में Pledge करने हेतु लिखा जाए। बैंक से प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत इसका सत्यापन प्रतिवेदन जिला अग्रणी प्रबंधक, मुजफ्फरपुर से प्राप्त किया जाए। अभिलेख दिनांक–26.04.2019 को रखें। 16/4/19 समाहर्त्ता –सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर। 16/4/19	ज्ञापांक — 1023/मा० दिनांक — 16/04/19 प्रतिलिपि – SSP मुज०/SHO, मोतीपुर/श्री भारत भूषण शर्मा, पिता श्री ब्रजपाल शर्मा, साकिन मुजाकीपुर, मेरठ, उ० प्रदेश (एरिया मैनेजर), अहमदाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी,/मुख्य प्रबंधक, Torrent Pharmaceuticals Limited, कार्यालय, आश्रम रोड, अहमदाबाद, 380009 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि प्रशाखा मुजफ्फरपुर 16/4

अनुसूची–14–फारम संख्या–562

न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 अंतर्गत

वाद संख्या 210/2019–20–सी०सी०ए०

–: आदेश–पत्रक :–

(देखे अभिलेख हस्तक–1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–तारीख :– .... से .... तक

जिला :– मुजफ्फरपुर .... सन्

केस का प्रकार–

सरकार बनाम मोहन चौधरी, पे0 कमलदेव राम, साकिन मुशहरी प्रखंड कलौली प्रहलादपुर, थाना मुशहरी, जिला मुजफ्फरपुर

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की ग कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि
1	2	3
18.04.2019	वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1878/सी0आर0, दिनांक–08.04.2019 के द्वारा आसन्न लोक सभा चुनाव–2019 में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने एवं विधि व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था आम जनता के बीच बनाए रखने हेतु मोहन चौधरी, पे0 कमलदेव राम, साकिन मुशहरी प्रखंड कलौली प्रहलादपुर, थाना मुशहरी, जिला मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 1308, दिनांक 06.04.2019 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार मोहन चौधरी एक कुख्यात अपराध कर्मी है तथा मुशहरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत अपराध करने में संलिप्त है तथा अपराध नियंत्रण में बाधा उत्पन्न कर रहे है। इनकी दबंगता के कारण इनके क्षेत्र एवं इनके घर के आस–पास की जनता में काफी भय व्याप्त है। आशंका है कि आगामी चुनाव 2019 में इनके द्वारा आम मतदाताओं को डराया धमकाया जा सकता है एवं चुनाव के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं लोक शांति को बाधित करने का प्रयास किया जा सकता है। अतः मोहन चौधरी के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इनके विरूद्ध निम्नांकित कांड एवं सनहा दर्ज है – 1. मुशहरी थाना कांड संख्या 38/17, दिनांक 22.03.2017, धारा 272/273 भा0द0वि0 एवं 30ए/36/38 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016। आरोप 79/17, दिनांक 28.07.2017 2. मुशहरी थाना कांड संख्या 95/17, दिनांक 08.06.2017, धारा 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। आरोप पत्र संख्या 72/17, दिनांक 30.06.2017 4. मुशहरी थाना दैनिकी सनहा संख्या 290/19, दिनांक 12.03.2019 वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 612/न्या0, दिनांक 09.04.2019 के द्वारा विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसका तामिला प्रतिवेदन थानाध्यक्ष, मुशहरी थाना, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 651, दिनांक 15.04.2019 को के द्वारा समर्पित किया गया है, जिसके परिशीलन से ज्ञात होता है कि विपक्षी के द्वारा स्वयं नोटिस प्राप्त किया गया है। उक्त वाद की सुनवाई दिनांक 18.04.2019 को की गई। सुनवाई के क्रम में, विपक्षी अनुपस्थित पाए गए। उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए। विद्वान विशेष लोक अभियोजक, अपराध नियंत्रण अधिनियम, मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1878/सी0आर0, दिनांक–08.04.2019 के द्वारा समर्पित प्रस्ताव के साथ संलग्न कागजातों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि मुशहरी थाना कांड संख्या 95/17, दिनांक 08.06.2017, धारा 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट (आरोप पत्र संख्या 72/17, दिनांक 30.06.2017) में विपक्षी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया एवं मुशहरी थाना कांड संख्या 38/17, दिनांक 22.03.2017, धारा 272/273 भा0द0वि0 एवं 30ए/36/38 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (आरोप पत्र संख्या 79/17, दिनांक 28.07.2017) में 11 कार्टून शराब की बरामदगी से संबंधित है। समाहर्त्ता न्यायालय के द्वारा निर्गत नोटिस को प्राप्त करने के	

बावजूद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होने से प्रतीत होता है कि वह कानून का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं है। संभव है कि आगामी लोक सभा निर्वाचन 2019 के अवसर पर इनके द्वारा आम मतदाताओं को डराने–धमकाने एवं विधि व्यवस्था व लोक शांति को बाधा पहुँचाने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए विपक्षी के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई अति आवश्यक है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, अपराध नियंत्रण अधिनियम, मुजफ्फरपुर को सुनने एवं अभिलेख पर मौजूद कागजात के परिशीलन के उपरांत मैं पाता हूँ कि वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1878/सी0आर0, दिनांक–08.04.2019 के द्वारा समर्पित प्रस्ताव के साथ संलग्न कागजातों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि मुशहरी थाना कांड संख्या 95/17, दिनांक 08.06.2017, धारा 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट (आरोप पत्र संख्या 72/17, दिनांक 30.06.2017) में विपक्षी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया एवं मुशहरी थाना कांड संख्या 38/17, दिनांक 22.03.2017, धारा 272/273 भा0द0वि0 एवं 30ए/36/38 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (आरोप पत्र संख्या 79/17, दिनांक 28.07.2017) में 11 कार्टून शराब की बरामदगी से संबंधित है। समाहर्त्ता न्यायालय के द्वारा निर्गत नोटिस को प्राप्त करने के बावजूद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होने से प्रतीत होता है कि वह कानून का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं है। संभव है कि विपक्षी के द्वारा आसन्न लोक सभा निर्वाचन 2019 के अवसर पर लोक शांति एवं लोक व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए इनके विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई अति आवश्यक है।

सरकार के संयुक्त सचिव, गृह विभाग, विशेष शाखा, बिहार, पटना के ज्ञापांक 2405/ पटना, दिनांक 12.03.2019 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आदेश देता हूँ कि विपक्षी मोहन चौधरी, पे0 कमलदेव राम, साकिन मुशहरी प्रखंड कलौली प्रहलादपुर, थाना मुशहरी, जिला मुजफ्फरपुर को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 31.05.2019 तक (मतदान की तिथि 06.05.2019 को छोड़कर) जिला बदर किया जाता है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि जिला बदर की उक्त अवधि में यदि विपक्षी इस जिला में कही भी नजर आवे तो उन्हें अविलंब गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

विपक्षी मोहन चौधरी, पे0 कमलदेव राम, साकिन मुशहरी प्रखंड कलौली प्रहलादपुर, थाना मुशहरी, जिला मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि मुजफ्फरपुर जिला में निर्वाचन की तिथि 06.05.2019 को वे अपने गृह थाना मुशहरी, मुजफ्फरपुर में 07.00 बजे पूर्वाहन में अपनी हाजरी अंकित करना सुनिश्चित करेंगे एवं उस दिन 07.00 बजे प्रातः से 05.00 बजे सायं तक थाना पर ही उपस्थित रहेंगे।

थानाध्यक्ष, मुशहरी थाना, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि मतदान की तिथि को विपक्षी के द्वारा मतदान की इच्छा व्यक्त किए जाने पर उन्हें मतदान करने के लिए हर संभव आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

थानाध्यक्ष, मुशहरी थाना, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश का तामिला विपक्षी को कराकर 24 घंटे के अंदर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश का तामिला संबंधित थानाध्यक्ष से कराने के लिए इसे वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के कार्यालय को भेजा जाए। साथ ही इस आदेश की प्रति सभी संबंधित को दी जाए एवं इस जिले के वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कराया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

18/4/19

समाहर्त्ता,
सह–जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

18/4/19

समाहर्त्ता,
सह–जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

18/4/19

समाहर्त्ता सह जिला दण्डाधिकारी
APR 2019
जिला विधि प्रशाखा

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा

अनुसूची–14–फारम संख्या–562

न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 अंतर्गत

वाद संख्या 11/2019–20–सी०सी०ए०

–: आदेश–पत्रक :–

(देखे अभिलेख हस्तक–1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–तारीख :– .... से .... तक

जिला :– मुजफ्फरपुर .... सन्

केस का प्रकार–

सरकार बनाम अजय पाण्डेय, पे0 सीताराम पाण्डेय, मोहल्ला रामबाग चौड़ी, थाना मिठनपुरा, जिला मुजफ्फरपुर

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

05.04.2019

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1374/सी0आर0, दिनांक–12.03.2019 के द्वारा आसन्न लोक सभा चुनाव–2019 में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने एवं विधि व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था आम जनता के बीच वनाए रखने हेतु अजय पाण्डेय, पे0 सीताराम पाण्डेय, मोहल्ला रामबाग चौडी, थाना मिठनपुरा, जिला मुजफ्फरपुर के विरूद्व बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

पुलिस उपाधीक्षक, नगर, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 1073/नगर, दिनांक 01.03.2019 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार अजय पाण्डेय एक उदंड एवं मनबढ़ू प्रवृति के व्यक्ति है। इनकी दबंगता के कारण इनके क्षेत्र एवं इनके घर के आस–पास की जनता में काफी भय व्याप्त है। वर्तमान में ये न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त है। आशंका है कि चुनाव के समय आकर इनके द्वारा हल्ला हुड़दंग करके चुनाव को प्रभावित कर दिया जाए। पूर्व के कांडो में ये आरोप पत्रित है। इनके विरूद्ध निम्नांकित कांड एवं सनहा दर्ज है –

(1) मिठनपुरा थाना कांड संख्या 92/98, दिनांक 15.06.1998, धारा 399/402/307/353/332 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट। आरोप पत्र संख्या 79/98, दिनांक 09.09.1998

(2) मिठनपुरा थाना कांड संख्या 93/98, दिनांक 15.06.1998, धारा 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। आरोप पत्र संख्या 64/98, दिनांक 24.08.2018

(3) मिठनपुरा थाना कांड संख्या 179/15, दिनांक 21.07.2015, धारा 341/323/324/307/379/34 भा0द0वि0। आरोप पत्र संख्या 267/15, दिनांक 31.08. 2015 .

(4) मिठनपुरा थाना कांड संख्या 96/15, दिनांक 27.04.2015, धारा 143/341/353/337/504/506 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट। आरोप पत्र संख्या 112/17, दिनांक 27.05.2017

(5) मिठनपुरा थाना सनहा संख्या 158/19, दिनांक 09.03.2019

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 550/न्या0, दिनांक 29.03.2019 के द्वारा विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसका तामिला प्रतिवेदन थानाध्यक्ष, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 428, दिनांक 02.04.2019 के द्वारा समर्पित किया गया है।

उक्त वाद की सुनवाई दिनांक 05.04.2019 को की गई। सुनवाई के क्रम में, विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि मिठनपुरा थाना कांड संख्या 93/18 मिठनपुरा थाना कांड संख्या 92/18 का पूरक कांड है। मिठनपुरा थाना कांड संख्या 92/18 विचारण हेतु 22 वर्षो से न्यायालय में लंबित हैं। आज तक एक भी साक्ष्य नहीं हुआ। विदित हो कि विपक्षी के पिता के द्वारा 08. 05.1995 को पडोसी दरोगा रघुवंश प्रसाद श्रीवास्तव के विरूद्ध अनुमंडल दंडाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 अंतर्गत

वाद संख्या 11/2019–20– सी०सी०ए०

विपक्षी अजय पाण्डेय, पे0 सीताराम पाण्डेय, मोहल्ला रामबाग चौडी, थाना मिठनपुरा, जिला मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि मुजफ्फरपुर जिला में निर्वाचन की तिथि 06.05.2019 को वे अपने गृह थाना मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर में 07.00 बजे पूर्वाह्न में अपनी हाजरी अंकित करना सुनिश्चित करेंगे एवं उस दिन 07.00 बजे प्रातः से 05.00 बजे सायं तक थाना पर ही उपस्थित रहेंगे। थानाध्यक्ष, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि मतदान की तिथि को विपक्षी के द्वारा मतदान की इच्छा व्यक्त किए जाने पर उन्हें मतदान करने के लिए हर संभव आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। थानाध्यक्ष, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश का तामिला विपक्षी को कराकर 24 घंटे के अंदर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का तामिला संबंधित थानाध्यक्ष से कराने के लिए इसे वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के कार्यालय को भेजा जाए। साथ ही इस आदेश की प्रति सभी संबंधित को दी जाए एवं इस जिले के वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कराया जाए। लेखापित एवं संशोधित 5/4/19 समाहर्त्ता, –सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर।   5/4/19 समाहर्त्ता –सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

5/4/19

समाहर्त्ता –सह– जिला दण्डाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा, मुजफ्फरपुर

APR 2019

ज्ञापांक 799 /वि० शा०–05/04/19

प्रतिलिपि– SSP मुज०/SHO मिठनपुरा/SHO, पारू/DSO, NIC, मुज०/विपक्षी अजय पाण्डेय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि प्रशाखा मुजफ्फरपुर 5/4/19